सेवा का अधिकार आयोग ने एचएसवीपी की 43 सेवाओं को किया अधिसूचित

अब 15 दिन में हटेगा अतिक्रमण और 3 दिन में मिलेगा कब्जा प्रमाण पत्रः टीसी गुप्ता

- आयोग के मुख्य आयुक्त ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कामकाज को बनाया सुव्यवस्थित

HARYANA
RIGHT TO SERVICE COMMISSION

चंडीगढ़, 8 दिसंबर (सवेरा ब्यूरो) : सरकारी विभागों में जनता के काम समयबद्ध तरीके से पूरे हों, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राइट टू सर्विस कमीशन ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 43 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को तय समय अवधि में ही सेवाएं देनी होंगी। अब एचएसवीपी की अधिसूचित सेवाओं की सूची 16 से बढ़कर 43 हो गई है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि एचएसवीपी की 43 सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। सेवा के अधिकार के तहत कब्जा प्रमाण पत्र जारी के लिए 3 दिन, अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन, सड़क की सफाई के लिए 5 दिन, पार्क और बागवानी की मरम्मत के लिए 7 दिन की समयावधि रखी गई है।

कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए जोड़ी गई सेवाएं

टीसी गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और एचएसवीपी के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अधिक सेवाओं को जोड़ा गया है। लोगों के दैनिक जीवन पर असर डालने वाली कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचित सेवाओं के वितरण की समयसीमा को भी काफी कम कर दिया गया है। मृत्यु के मामले में स्थानांतरण अनुमति पत्र जो पहले 45 दिन में दिया जाता था, उसका समय घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। पुन आवंटन पत्र जो पहले 30 दिन में जारी होता था, उसकी समयावधि घटाकर 4 दिन कर दी गई है। वाहन डीड को जारी करने की समयावधि 20 दिन से घटाकर 5 दिन, फ्रैश आवासीय भवन योजना की समयावधि 30 दिन से घटनाकर 3 दिन, नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि 10 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई है। गुप्ता ने कहा कि एचएसवीपी की सेवाएं अधिसूचित होने से आम जनता को लाभ मिलेगा। गुप्ता ने बताया कि हाल ही में सरकार ने ऑटो अपील सिस्टम लागू किया है, जो सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया में मल्टी चैक करने की दिशा में एक मजबूत पहल है। यह प्रणाली संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करती है।